न्यायमूर्ति एस. सी. मितल के समक्ष

ईश्वर दास-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

आपराधिक विविध क्रमांक 1820-एम/1977

15 नवंबर 1977

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII) - धारा 2(1) (ए) और (बी)- खाद्य सामग्री (गोंड खानेवाला) में मिलाया गया बाहरी पदार्थ - किसी विशेष प्रकार की खरीद के लिए खाद्य निरीक्षक द्वारा कोई मांग नहीं गोंड-आरोपी-क्या गलत बयानी का दोषी है-धारा 2(1)(बी)-क्या आकर्षित हुआ-धारा 2(1)(बी) में 'हानिकारक' शब्द -क्या खंड के पहले भाग को भी नियंत्रित करता है।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ए) को पढ़ने से पता चलता है कि इसे धोखाधड़ी या गलत बयानी के मामलों को कवर करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि आरोपी ने इस आशय की एक निहित वारंटी दी है कि जो खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए पेश किया गया है वह वास्तव में वही है जो वह होना चाहता है। गोंद की गुणवत्ता की एक विस्तृत श्रृंखला है और जब तक खाद्य निरीक्षक किसी विशेष प्रकार की खाद्य सामग्री की मांग नहीं करता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी ने गलतबयानी की है।

(पैरा 5)

कॉरपोरेशन ऑफ कलकत्ता बनाम शंकर ट्रेडिंग कंपनी और अन्य, 1968 (2) सीआर एलजे 1532 (से असहमत)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि केवल इसलिए कि किसी खाद्य पदार्थ में अशुद्धता पाई जाती है, उसे मिलावटी नहीं माना जा सकता है। यदि विधानमंडल की ऐसी मंशा होती, तो किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता के मानक निर्धारित करने या धारा 2(1) में खंड (ए) से (के) अधिनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम के तहत कुछ नियमों का निर्माण एक स्पष्ट उदाहरण है जो भोजन की किसी वस्तु में कुछ हद तक अशुद्धियों के प्रति सहनशीलता को दर्शाता है। अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (बी) में किसी खाद्य पदार्थ में किसी भी बाहरी पदार्थ की मात्र मौजूदगी उसे मिलावटी नहीं बनाएगी। खंड (बी) में अन्य आवश्यक घटक यह है कि बाहरी पदार्थ भोजन की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 2 (1) के खंड (बी) में दो आकस्मिकताओं की परिकल्पना की गई है, अर्थात् (i) लेख में कोई अन्य पदार्थ शामिल है जो इसके पदार्थ या गुणवत्ता को प्रभावित करता है (ii) यदि लेख इस प्रकार संसाधित किया जाता है कि प्रभावित हो हानिकारक रूप से उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को मिलावटी कहा जाना तर्कसंगत नहीं है। धारा 2(1)(बी) में अल्पविराम शब्द "हानिकारक ढंग से" आता है। अल्पविराम लगाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हानिकारक शब्द न केवल 'दूसरे भाग के साथ, बल्कि उपवाक्य के पहले भाग के साथ भी जाता है। अभियोजन यह दिखाने में विफल रहा कि जैविक और अकार्बनिक पदार्थों के अस्तित्व ने खाद्य सामग्री की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को हानिकारक रूप से प्रभावित किया है, धारा 2(1)(बी) लागू नहीं होगी।

(पैरा 7 और 8)

राम मूर्ति बनाम नगर निगम दिल्ली 1975(1) अखिल भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण मामले 149. (से असहमत)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई कि शिकायत, आदेश दिनांक 22 अप्रैल, 1977 (श्री वी पी चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरवाना द्वारा पारित) और याचिकाकर्ता के खिलाफ (खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम) की धारा 7(1) के साथ पठित धारा 16(1) (ए) (i) के तहत कार्यवाही चल रही है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरवाना की अदालत में खारिज किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील आर.एस.मित्तल।

प्रतिवादी की ओर से एच. एस. गिल, डी. ए., हरियाणा।

निर्णय

एस. सी. मितल,न्यायमूर्ति-

(1) 31 मई 1976 को खाद्य निरीक्षक मेघ नाथ ने नरवाना में ईश्वर दास की दुकान का दौरा किया। दो किलोग्राम "गोंद खानेवाला" बिक्री के लिए मिला। कथित तौर पर उसका नमूना लिया गया था । उचित समय पर, नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया जिसने 5.04 प्रतिशत कार्बनिक बाह्य पदार्थ मौजूद पाया। गोंड को मिलावटी मानते हुए ईश्वर दास के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने खाद्य निरीक्षक के बयान सहित प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज किए। आक्षेपित आदेश द्वारा उन्होंने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16(1) (ए) के साथ पठित धारा 7(1) के तहत आरोप तय किया, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। ईश्वर दास ने आरोप और कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह याचिका दायर की है।

(2) पार्टियों के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 2 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया: -"1(ए) "मिलावटी"-खाद्य वस्तु को मिलावटी माना जाएगा

(ए) यदि किसी विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु क्रेता द्वारा मांगी गई प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है और उसके पूर्वाग्रह के लिए है, या उस प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है जिसका वह तात्पर्य है या प्रतिनिधित्व किया जाता है:

(बी) यदि वस्तु में कोई अन्य पदार्थ शामिल है जो प्रभावित करता है, या यदि वस्तु को इस प्रकार संसाधित किया गया है कि वह उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है;

** ** * *

1. यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से नीचे आती है या उसके घटक परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाते हैं।

(3) माना कि प्रश्नगत गोंद की गुणवत्ता या शुद्धता के संबंध में कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, मामला अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (1) के दायरे में नहीं आता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एम. वी. कृष्णन नाम्बिसन बनाम केरल राज्य का हवाला दिया, जिसमें अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था क्योंकि छाछ की सामग्री के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था। रिपोर्ट के पैरा 5 में, यह देखा गया:-

"हमें इस सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए कि क्या अधिनियम की धारा 2 में "मिलावटी" की परिभाषा के कुछ अन्य खंडों के तहत छाछ में मिलावट के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान मामले में, अभियोजन केवल मानक बनाए न रखने के लिए

था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि गोंड की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित न करने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि गोंड को 'मिलावटी' नहीं माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (ए) या खंड (बी) के दायरे में आता है। प्रारंभ में यह बताया जा सकता है कि सार्वजनिक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार कहा: -

1. शारीरिक परीक्षण:. खाने योग्य गोंद की विशेषता और कोई संक्रमण नहीं।

2. जैविक विस्तार. मामले: 5.04%

3. अकार्बनिक विस्तार. मामले: 0.86%

इसके नीचे वह कॉलम है जिसमें सार्वजनिक विश्लेषक ने अपनी राय इस प्रकार व्यक्त की है: -"नमूने में 5.04 प्रतिशत कार्बनिक बाह्य पदार्थ हैं"। सार्वजनिक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि गोंड का नमूना 'मिलावटी' था। राज्य के विद्वान वकील ने सही आग्रह किया कि नमूने को 'मिलावटी' घोषित करने में सार्वजनिक विश्लेषक की चूक से न्यायालय को यह पता लगाने से नहीं रोका जाएगा कि यह ऐसा है या नहीं। इसके विपरीत, लोक अभियोजक बनाम कनुमारलापुडी रामलिंगैया में, विद्वान न्यायाधीश ने कहा: -

"आगे मेरी राय है कि एक बार सार्वजनिक विश्लेषक जो एक विशेषज्ञ है, ने पाया कि लेख में मिलावट है, तो उसकी राय को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह न दिखाया जाए कि उसकी राय तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है, या उसकी जगह ले ली गई है।"

(4) राज्य के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि मामला अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ए) के दायरे में आता है। इस खंड को पढ़ने से पता चलता है कि इसे धोखाधड़ी या गलत बयानी के मामलों को कवर करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ऐसे मामलों में, आरोपी को इस आशय की एक निहित वारंटी दी जाती है कि जो खाद्य पदार्थ बिक्री के

लिए पेश किया गया है, वह वास्तव में वही है जो वह होना चाहता है। यहां मुरलीधर मेघराज लोया आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला देना फायदेमंद होगा, जिसमें खाद्य निरीक्षक ने आरोपी से खुरासानी तेल की मांग की और फिर आरोपी ने इसे ऐसे ही बेच दिया। तेल के नमूने का विश्लेषण करने पर पाया गया कि इसमें 30 प्रतिशत मूंगफली का तेल मिलाया गया था। उनके आधिपत्य ने खंड (ए) के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसी तरह का एक और उदाहरण लोक अभियोजक बनाम कनुमरलापुडी रामलिंगैया में पाया जाता है। उस मामले में, आरोपी ने दर्शाया कि वह मूंगफली का तेल बेच रहा था, लेकिन नमूने में 82 प्रतिशत मूंगफली तेल और 18 प्रतिशत नारियल तेल का मिश्रण पाया गया। इन परिस्थितियों में मामला अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (ए) के तहत मिलावट का माना गया।

(5) वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि गोंड की गुणवत्ता की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला है - क्रिस्टलीकृत रूप में बेहतरीन गुणवत्ता धूल के एक कण से भी पूरी तरह मुक्त है। इसके बाद खाद्य निरीक्षक, पीडब्लू 1 के निम्नलिखित कथन का संदर्भ दिया गया:–

“मैंने अपनी पहचान बताई” और आरोपी की दुकान का निरीक्षण किया, जहां उसके पास सार्वजनिक बिक्री के लिए लगभग 2 किलोग्राम गोंद खानेवाला था। मैंने विश्लेषण के लिए नमूना लेने के लिए एक्ज़िबिट पीए को नोटिस दिया और 600 ग्राम गोंद खरीदा..... .....”

खाद्य निरीक्षक ने अपने बयान में कहीं भी याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से किसी विशेष प्रकार के गोंद की मांग करने का आग्रह नहीं किया। याचिकाकर्ता की दुकान में जिस प्रकार का गोंद उपलब्ध था, उसे गोंद खानेवाला माना गया। इसके अलावा, अशुद्धता, यानी, पृथ्वी का अस्तित्व, नग्न आंखों को दिखाई देगा। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें बाहरी कार्बनिक पदार्थ को गोंद में इस तरह मिलाया गया था कि वह नग्न आंखों, विशेषकर खाद्य निरीक्षक की नजरों से बच सके। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क, कि

याचिकाकर्ता पर किसी भी गलत बयानी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, उचित प्रतीत होता है।

(6) फिर भी, इस मामले को अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (ए) के दायरे में लाने के लिए राज्य के विद्वान वकील ने कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता बनाम शंकर ट्रेडिंग कंपनी और एक अन्य मामले पर भरोसा किया जिसमें अजोवन पाया गया था रेत मिट्टी के साथ मिश्रित । विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मिलावट के तरीके ने अजवाइन की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को हानिकारक रूप से प्रभावित किया है। लेकिन सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत डेटा ने मामले को अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (ए) की शरारत के साथ ला दिया। स्पष्टतः विद्वान न्यायाधीश ने मामले के गुण-दोष के आधार पर अपना निर्णय दिया। फिर भी, निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया- "गंदगी और रेत अजोवन के घटक नहीं हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता होना या तो वे जमीन पर एकत्रित होने पर मिश्रित हो जाते हैं या बाद में जानबूझकर उन्हें अजोवन में मिला दिया जाता है। भले ही वे जमीन पर एकत्र किए गए अजोवन के साथ मिश्रित हो जाएं, विक्रेता को बेचने का कोई अधिकार नहीं है, जब कोई खरीदार अजोवन मांगता है तो अजोवन मिट्टी और रेत के साथ मिश्रित हो जाता है। यह उस वस्तु की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता से अलग कोई चीज़ बेचना होगा जिसकी क्रेता द्वारा माँग की गई हो। अजोवन माँगना मिट्टी और रेत मिश्रित अजोवन माँगने जैसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में अजोवन को मिलावटी माना जाएगा। धारा 2(1)(ए) के तहत यह जरूरी नहीं है कि यह साबित किया जाए कि नमूना लेने से कोई जहरीला पदार्थ या कोई पदार्थ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वह नमूने में मौजूद था। तदनुसार, राज्य के विद्वान वकील ने मेरे समक्ष आग्रह किया कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में कोई अशुद्धता पाई जाती है तो उसे मिलावटी माना जाना चाहिए। मेरी राय में, यह इतना व्यापक प्रस्ताव है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसका सीधा सा कारण यह है कि यदि विधायिका की मंशा ऐसी होती तो किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता

या/शुद्धता के मानक निर्धारित करने या (ए) से (के) अधिनियम की धारा 2(1) बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहां इस न्यायालय द्वारा अमर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में तय किए गए अजोवन के एक मामले का उल्लेख करना उचित होगा। ऐसे में जब वर्ष 1970 में अजोवान का नमूना लिया गया तो इसकी शुद्धता का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था । बाद में, फरवरी, 1973 में नियम- (ए.05.23) जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि "कार्बनिक और अकार्बनिक बाह्य पदार्थ का अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। बीज जीवित कीड़ों, कीड़ों के टुकड़ों और आंखों से दिखाई देने वाले कृंतक संदूषण से मुक्त होंगे। निम्नलिखित (एम वी कृष्णन नाम्बिसन बनाम केरल राज्य, न्यायमूर्ति श्री प्रीतम सिंह पट्टर, ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है और आरोपी को बरी कर दिया है। उपर्युक्त नियम का निर्धारण- (ए.05.23) एक स्पष्ट उदाहरण है जो भोजन की किसी वस्तु में कुछ हद तक अशुद्धियों के प्रति सहनशीलता को दर्शाता है। यह बताता है कि क्यों अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (बी) में, किसी खाद्य पदार्थ में किसी भी बाहरी पदार्थ की मौजूदगी उसे 'मिलावटी' नहीं बनाएगी। खंड (बी) में अन्य आवश्यक घटक यह है (कि बाहरी पदार्थ भोजन की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है) उपरोक्त कारणों से, उचित सम्मान के साथ, मैं कलकत्ता निगम के मामले में विद्वान न्यायाधीश की उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियों से सहमत होने में असमर्थ हूं। इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मौजूदा मामला अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (ए) के अंतर्गत नहीं आता है। यहां यह विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है कि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए इस खंड पर भरोसा नहीं किया।

(7) मामले को अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (बी) के दायरे में लाने के लिए राज्य के विद्वान वकील ने राम मूर्ति बनाम दिल्ली नगर निगम में दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में साबत अमचूर, जिसमें 0.79 प्रतिशत तक

बाहरी पदार्थ था, को अधिनियम की धारा 2(1)(बी) के तहत 'मिलावटी' घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति जगजीत सिंह ने बेंच की ओर से बोलते हुए कहा कि “अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (बी) में दो आकस्मिकताओं की परिकल्पना की गई है, अर्थात्,

(i) वस्तु में कोई अन्य पदार्थ शामिल है जो उसके पदार्थ या गुणवत्ता को प्रभावित करता है

(ii) यदि वस्तु को इस प्रकार "प्रसंस्कृत किया गया है कि उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है" तो उसे मिलावटी कहा जाता है।

शब्द 'प्रकृति को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं' उप-खंड के पहले शब्दों के साथ नहीं जाते हैं, अर्थात्, "यदि लेख में कोई अन्य पदार्थ शामिल है" लेकिन स्पष्ट रूप से शब्दों के साथ जाते हैं "यदि लेख इस प्रकार संसाधित है।"

(8) सुविधा के लिए, अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (टीआईजे) को फिर से उद्धृत किया जा सकता है: -

"(बी) यदि लेख में कोई अन्य पदार्थ शामिल है जो प्रभावित करता है, या यदि लेख को इस प्रकार संसाधित किया जाता है कि उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है।" यह देखा जाएगा कि अल्पविराम "हानिकारक" शब्द से पहले आता है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किये गये विचार से सहमत होता। अल्पविराम लगाने से मुझे लगता है कि "हानिकारक" शब्द न केवल दूसरे भाग के साथ, बल्कि खंड के पहले भाग के साथ भी जाता है।

(9) इस प्रकार, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि अभियोजन पक्ष, वर्तमान मामले में आवश्यकतानुसार, यह दिखाने में विफल रहा है कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अस्तित्व ने गोंद की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को हानिकारक रूप से प्रभावित किया है। आर.

पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां प्रस्तुत किए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप साबित करने में विफल रहते हैं, तो अंतरिम चरण में कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को लागू किया जा सकता है।

(10) परिणामस्वरूप, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और कार्यवाही को रद्द करता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh